तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में हुए
31/03/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में जाहिर है कि विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष श्री संतोष शर्मा द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 411 रकबा 0.59 हैक्टर की इन्द्राज दुरुस्ती के माध्यम से प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग इस बिनाय पर की जा रही है कि ग्राम भंदर के गत खसरा नंबर 66/2 में 3 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा बतौर खातेदारी धारित की जा रही थी। उक्त भूमि को भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गलत रूप से अप्रार्थीगण के खातेदारी में भू-प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा दर्ज कर दिया गया है जबकि भू-प्रबन्ध अधिकारियो को उक्त अधिकार प्राप्त नहीं होने से खसरा नंबर 411 में दर्ज अप्रार्थीगण का नाम विलोपित कर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष श्री ओम दवे द्वारा यह दलील दी जा रही है कि ग्राम भंदर के गत खसरा नंबर 66/3 रकबा 3 बीघा भूमि नियमन होने से सैटलमैंट पूर्व के अधिकार अभिलेखो जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खातेदारी में दर्ज थी। जिस भूमि के भू-प्रबंध कार्यवाही के समय मौका स्थिति अनुसार हाल खसरा नंबर 411 रकबा 0.59 हैक्टर कायम किये तथा भू-प्रबंध बाद के अधिकार अभिलेखों में मौका स्थिति तथा मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नंबर 66/3 से बने हाल खसरा नंबर 411 रकबा 0.59 हैक्टर का खातेदार प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं किये जाने से प्रार्थी	

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष श्री ओम दवे द्वारा बहस के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री संतोष शर्मा द्वारा दौराने बहस कानूनी उद्धरण RRD 2009 Page 457 की प्रति पेश की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम भंदर स्थित भूमि गत खसरा नंबर 66/3 रकबा 3 बीघा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम भू-प्रबन्ध पूर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज है पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल की प्रति के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि ग्राम भंदर के गत खसरा नंबर 66/3 रकबा 3 बीघा के हाल खसरा नंबर 511 रकबा 0.59 हैक्टर बने है भू-प्रबंध बाद की चतौनी / मिसल बंदोबस्त संवत 2037 से 2056 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भंदर के हाल खसरा नंबर 511 रकबा 0.59 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज है जो वर्तमान अधिकार अभिलेखों में भी बदस्तूर दर्ज है इस प्रकार उक्त प्रकरण में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं है प्रार्थीगण स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को स्वीकार करते है कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा उनके खातेदारी की भूमि ग्राम भंदर के गत खसरा नंबर 66/2 रकबा 3 बीघा की भू-प्रबंध पूर्व के नक्शे में तरमीम नहीं होने से गलत तौर से अप्रार्थीगण के खातेदारी में भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान दर्ज कर दिया है भू-प्रबंध अधिकारियों द्वारा मौका स्थिति के अनुसार ही रिकार्ड का संधारण किया जाता है यदि प्रार्थीगण की भू-प्रबंध पूर्व के नक्शे में तरमीम नहीं थी तो

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामिल में हुए
	भू-प्रबंध विभाग पर इसका दोषारोपण करना न्यायोचित नहीं है यदि भू-प्रबंध पूर्व के लेखो में प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि दर्ज थी तथा उसके मुकाबले भू-प्रबंध बाद के आधिकार अभिलेखो में भूमि कम दर्ज हुई है तो इसका स्पष्टीकरण करने हेतु गत व हाल नक्शे का ओवर लैपिंग करते हुये अपने अनुतोष को साबित करना था। जिसमें प्रार्थीगण पूर्ण रूप से असफल रहे है। प्रस्तुत कानूनी उद्दहरण भी हस्तगत प्रकरण पर सटीक नहीं है क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रमाणित नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	